ऑन लाईन नं. GCMS 2025/21

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 18/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल – (विक्रेता व मालिक)– मैसर्स–गणेश किरयाना स्टोर, 559 वार्ड नं.09 पुरानी आबादी टावर रोड, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर
2. श्रीमती अंजू चराया पत्नी गुलशन चराया, योग दिव्या मन्दिर, 51 नागपानी कॉलोनी, गली नं–03 मैसर्स–चराया ट्रेडिंग कम्पनी, 254–255, पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर
3. श्रीमती ममता पत्नी श्री पंकज कुमार ऋषी आश्रम रोड, वार्ड नं–16, संगरिया, हनुमानगढ़, मैसर्स–दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नागौरी शॉप नं–12 नजदीक पुलिस स्टेशन संगरिया, जिला–हनुमानगढ

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांकः 07.03.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2024 को समय दोपहर 04.30 पी एम बजे को मैसर्स–गणेश किरयाना स्टोर, 559 वार्ड नं.09 पुरानी आबादी टावर रोड, श्रीगंगानगर पर पहुँचा, मौके पर **श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर दुकान की रैंक में रखा खाद्य पदार्थ गाय का **घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में रखे 500–500 मिली (452–452 हउ) के 10 जार पैक खाद्य पदार्थ गाय का **घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया, मुझे इसी खाद्य पदार्थ गाय का **घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ गाय का **घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर मालिक एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ 452–452 ग्राम के 10 जार पैक **गाय का घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** मे से 452–452ग्राम के चार मूल शील्ड जार पैको कुल 1 किलो 808 ग्राम के वजनी को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** का

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नगद भुगतान 960 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता व मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** को मूल चार जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं कमांक **के–2534** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप न **के–2534** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना गाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना माग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल(विकेता एवं मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1348/Act/2024/1348 Dated 29-10-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2534 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल (विक्रेता व मालिक) मैसर्स–गणेश किरयाना स्टोर, 559 वार्ड नं.09 पुरानी आबादी टावर रोड, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर, श्रीमती अंजू चराया पत्नि गुलशन चराया, योग दिव्या मन्दिर, 51 नागपानी कॉलोनी, गली नं–03 मैसर्स–चराया ट्रेडिंग कम्पनी, 254–255, पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर और श्रीमती ममता पत्नी श्री पंकज कुमार ऋषी आश्रम रोड, वार्ड नं–16, संगरिया, हनुमानगढ़, मैसर्स–दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नागौरी शॉप नं–12 नजदीक पुलिस स्टेशन संगरिया, जिला–हनुमानगढ** द्वारा अमानक स्तर **गाय का घी (ऊँ किष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्तगण ने अपने जवाब में कथन किया कि निवेदन है कि प्रार्थीया वार्ड नम्बर 16 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ की रहने वाली है तथा प्रार्थीया की फर्म मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 12 नजदीक पुलिस स्टेशन संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ की मालिक है तथा प्रार्थीया की फर्म ने दिनाक 7–10–2024 को बिल नम्बर ए000113 को चराया ट्रेडिग कम्पनी दुकान नम्बर 254–255 पावर हाउस रोड श्री गंगानगर को गाय के घी दिया था तथा जो गाय के घी substandard Food पाया गया है प्रार्थीया ने उक्त गाय के घी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगी। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 18/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करती है प्रार्थीया के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थीया के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी। परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का घी (ॐ किष्णा ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-2534** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1348/Act/2024/1348 Dated 29-10-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त गाय के घी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेंगे। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 18/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करते हैं प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी। परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Ghee** bearing code No. K-2534 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as it is not derived exclusively from milk of products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee and** it does not comform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011**. The sample also contravenes Regulation No. 2.3.7.(2) of Food Safety and Standards (Prohibtion and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of Foreign fat.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल (विक्रेता व मालिक) मैसर्स–गणेश किरयाना स्टोर, 559 वार्ड नं.09 पुरानी आबादी टावर रोड, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर, श्रीमती अंजू चराया पत्नि गुलशन चराया, योग दिव्या मन्दिर, 51 नागपानी कॉलोनी, गली नं–03 मैसर्स–चराया ट्रेडिंग कम्पनी, 254–255, पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर और श्रीमती ममता पत्नी श्री पंकज कुमार ऋषी आश्रम रोड, वार्ड नं–16, संगरिया, हनुमानगढ़, मैसर्स–दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नागौरी शॉप नं–12 नजदीक पुलिस स्टेशन संगरिया, जिला–हनुमानगढ** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल (विक्रेता व मालिक), मैसर्स–गणेश किरयाना स्टोर, 559 वार्ड नं.09 पुरानी आबादी टावर रोड, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर को **राशि रुपए 10000/–(अखरे रुपए दस हजार मात्र)**, श्रीमती अंजू चराया पत्नि गुलशन चराया, योग दिव्या मन्दिर, 51 नागपानी कॉलोनी, गली नं–03 मैसर्स–चराया ट्रेडिंग कम्पनी, 254–255, पावर हाउस रोड, श्रीगंगानगर को **राशि रुपए 25000/–(अखरे रुपए पच्चीस हजार मात्र) और** श्रीमती ममता पत्नी श्री पंकज कुमार ऋषी आश्रम रोड, वार्ड नं–16, संगरिया, हनुमानगढ़, मैसर्स–दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नागौरी शॉप नं–12 नजदीक पुलिस स्टेशन संगरिया, जिला–हनुमानगढ को **राशि रूपये 35,000–00 (अखरे रूपये पैंतीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खा़द्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।